अनुवान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
713/2002	10-07-2002	26/02/21

उनवान

ीलाराम पुत्र किसना (मृतक)
/1 – भूरी देवी बेवा लीला (मृतक)
/2 – हीरालाल पुत्र लीला (मृतक)
    1/2/1 – विजय
    1/2/2 – श्रीचन्द पुत्रान हीरालाल
    1/2/3 – सुनिता
    1/2/4 – माया पुत्रीयान हीरालाल
1/3 – देवकी पुत्र लीला
1/4 – अंगूरी
1/5 – चम्पा
1/6 – जानो पुत्रीयान लीला
चिरंजी पुत्र मूलिया (मृतक)
2/1 – मु0 गेन्दी बेवा चिरंजी (मृतक)
2/2 – रामप्रसाद पुत्र चिरंजीलाल
2/3 – लालाराम पुत्र चिरंजीलाल
    2/3/1 – प्रेमदेवी पत्नी लालाराम
    2/3/2 – नवल
    2/3/3 – पवन पुत्रान लालाराम
    2/3/4 – कृष्णा
    2/3/5 – रूकमणी पुत्रीयान लालाराम
2/4 – शीला
2/5 – सुशीला
2/6 – बिमला पुत्रीयान चिरंजीलाल
2/7 – प्यारेलाल पुत्र चिरंजीलाल
    2/7/1 – गुड़डी पत्नी प्यारेलाल
    2/7/2 – पूनम
    2/7/3 – कमला पुत्रीयान प्यारेलाल

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

अनुवान

2/7/4 – संजय पुत्र प्यारेलाल नाबालिग जरिये वलीसरपरस्त माता गुड्डी जाति धीवर निवासीगण वार्ड नं0 16, कालियाकी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

———:: वादीगण

बनाम

रामचन्दर पुत्र स्व0 धन्ना पुत्र ईसर जाति धीवर निवासी वार्ड नं0 16, कालियाकी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्म
ई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है
ल आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 1–19, 39 रकबा 1–18, 41 रकबा 2–12 व 43/2–18 बिस्वा जिनके
क खसरा नम्बर 84, 86, 85, 74, 75 वाके ग्राम कालियाकी तहसील तिजारा जिला अलवर स्थित है। आराजी
को वादीगण पुश्ता पुश्त से लगातार काश्त करते आ रहे और जमा देते आ रहे है, जिनकी बाबत कागजात
गिरदावरी आदि में हमारा नाम का अमल हो रहा है। ताईद में गिरदावरी 2010 से हाल संलग्न है। मुदायला
आ0मु0 से उसके कब्जा काश्त में किसी प्रकार का कोई संबंध वो ताल्लुक न तो था न है किन्तु सैटलमेन्ट
ग के कर्मचारियों से मुदायला ने मिलकर गलत तथा मौका के खिलाफ जमाबन्दी 2029 में खसरा नम्बर 38 का
/39 भाग पर वो 39 का 17/38 भाग पर वो 41 के 1 बीघा 11 बिस्वा, 43 के 1 बीघा 5 बिस्वा पर अमल करा
या। इस गलत अमल के रहने से वादीगण के अधिकारों पर बुरा असर पडता है। जिसके सेहत कराने की बाबत
तिवादी से चार बार कहा गया परन्तु प्रतिवादी टालबाल करता रहा और तारीख 17.06.1976 को मुदायलाहुम से
फ कह दिया कि दुरूस्ती नहीं कराउगां। आ0मु0 पर कब्जा करूंगा, मुन्तकिल करूंगा। वादीगण को बेदखल
रूंगा कि जिससे वादीगण को इरोपेबिल इंजरी होगी। अतः अपने अधिकारो की रक्षा हेतु वाद प्रस्तुत है। वादीगण
ायज तौर से काबिज वो दाखिल है। प्रतिवादीगण का आ0मु0 से उनका कब्जा काश्त से कोई संबंध नहीं है। यदि
तिवादीगण ने वादीगण को बेदखल कर दिया तो वादीगण बर्बाद हो जाऐगें। अतः वाद द्वारा हुक्मइम्तनाई से
तिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी है। वादीगण ने वाद के साथ सूचि अनुसार दस्तावेज पेश किये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समऩ तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण तामील के उपरान्त उपस्थित हुये। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी ईसर पुत्र मोहनलाल का देहान्त हो चुका है जिसके देहान्त के बाद उनके स्थान पर उनकी जद में धन्ना पुत्र ईसर व चन्दो पुत्री ईसर को पक्षकार मुकदमा बनाया गया, लेकिन चन्दो ने अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्से का हकत्याग धन्ना के हक में कर दिया गया, जो चन्दो का सगा भाग था। लेकिन धन्ना का देहान्त होने के बाद उसके एकमात्र

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

नवकार उपक्रम, अलवर
Court

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

अनुवान

यह
रामचन्दर पुत्र धन्ना है जिसको उक्त वाद में प्रतिवादीगण की जद में पक्षकार मुदकमा बनाकर
प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन
कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 39 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 41
12 बिस्वा, 43 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है व उक्त आराजी
के नाम खातेदारी दर्ज कर दिया जावें। उक्त आराजी पर गत 50 सालों से वादीगण का कब्जा चला
हम प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। उक्त आराजी वादीगण की ही है।
साबिक रिकॉर्ड में सही इन्द्राज किया हुआ है वाद वादीगण डिकी किया जावें, प्रतिवादीगण का नाम
जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार इन्द्राज किया जावें।

यपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर वादीगण का वाद डिकी किये जाने योग्य पाया जाता

: दावा वादी डिकी किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में से 20/39
कबा 1 बीघा 18 बिस्वा में से 17/38 भाग, 41 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में से 1 बीघा 11 बिस्वा, 43
घा 18 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम कालियाकी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
तिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।
ादेश सुनाया गया।

26/04/24

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०